न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 71/2015/(2015/00011) जिला–नागौर

1. उर्जाराम उर्फ अरजा पुत्र श्री मगनाराम
2. भंवरूराम पुत्र श्री संग्रामराम
   जाति जाट निवासी इटावड़ा भोजा तहसील डेगाना जिला नागौर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. परमाराम पुत्र श्री जिमनाराम जाति जाट निवासी इटावड़ा भोजा तहसील डेगाना जिला नागौर।
2. अमनाराम पुत्र श्री जिमना राम
3. फेफा देवी पत्नी स्व0 जिमनाराम
4. गिरधारी पुत्र धूलाराम
5. रामकिशन पुत्र धूलाराम
6. मदन पुत्र धूलाराम
7. बिदामी पत्नी स्व0 धूलाराम
8. फकीरा पुत्र प्रभुराम
9. रामदेव पुत्र धन्नाराम
10. सुखाराम पुत्र धन्नाराम
11. छोटूराम पुत्र धन्नाराम
12. रमजीराम पुत्र मंगनाराम
13. देवाराम पुत्र पांचाराम
14. धापूड़ी पत्नी पांचाराम
15. शांतिदेवी पत्नी रामकुंवार
    जातियान जाट निवासीगण इटावडा भोजा तहसील डेगाना जिला नागौर।
16. सुप्यारी देवी पत्नी रामदेव
17. शंकराराम पुत्र छोगा
    जातियान जाट निवासीगण रोहिसडा तहसील रियांबडी जिला नागौर।
18. तहसीलदार, डेगाना।
19. पटवार हलका बिखरनियांकला
20. ग्राम पंचायत बिखरनियांकला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकलां।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना दिनांक 08–07–2015
अन्तर्गत अपील संख्या 03/2014 बउनवान परमाराम बनाम
उरजाराम उर्फ अरजा व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषकगण अपीलार्थी
2. श्री लक्ष्मण कंवटिया अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 8 एवं 16 व 17

निर्णय

दिनांकः– 16–05–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 परमाराम ने सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 3–9–1980 क विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में उर्जाराम व अन्य क विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम इटावडा भोजा तहसील डेगाना में स्थित वादग्रस्त आराजित खसरा नम्बर 162, 112, 113, 114, 190, 206 एवं 210 कुल रकबा 102 बीघा 16 बिस्वा में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 15 का 1/4–1/4 हिस्सा है परन्तु नामान्तरकरण संख्या 82 के जरिये भंवरूराम व उर्जाराम अपीलार्थी को खसरा नम्बर 210 व 112/1 कुल किता 2 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार दर्ज किया गया जबकि उनका 1/4 हिस्सा ही है इस कारण नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 3–9–1980 का निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना ने बिना तथ्यों एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन कर अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–7–2015 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 3–9–1980 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 3–9–1980 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील 34 वर्ष पश्चात दिनांक 25–6–2014 को प्रस्तुत की एवं साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 3–9–1980 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–6–75 की अनुपालना में वैधानिक तौर पर स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 17–6–75 प्रभाव में है तब तक कानूनन नामान्तरकरण संख्या 82 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। दिनांक 8–7–2015 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना राजस्व अभियान में थे इस कारण अपीलार्थी की सुनवाई नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 परमाराम ने नियमित राजस्व वाद संख्या 107/2014 बउनवान ''परमाराम बनाम उर्जाराम'' एवं

धारा 212 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत, प्रार्थना पत्र, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2014 दिनांक 22–5–2014 को अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में प्रस्तुत किये इसके बाद नामान्तरकरण संख्या 82 के विरूद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के अर्न्तत प्रथम अपील दिनांक 25–6–2014 को प्रस्तुत की थी जो कि कानूनन संधारण योग्य नहीं थी क्योंकि उक्त अपील दिनांक 25–6–2014 के पूर्व में ही स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1 परमाराम द्वारा वादपत्र संख्या 107/2014 एवं टी0आई0 प्रार्थना पत्र संख्या 30/2014 दिनांक 22–5–2014 को प्रस्तुत कर दिये थे। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 परमाराम द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 107/14 एवं टी0आई0 प्रार्थना पत्र संख्या 30/14 उनवान परमाराम बनाम उर्जाराम आदेश दिनांक 8–7–2015 के द्वारा नोटप्रेस में विड्रो हुए है। इस प्रकार मूल वाद पत्र संख्या 107/14 ही दिनांक 8–7–2015 को खारिज हो चुका है। वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का मौके पर कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है तथा उसका हक एवं अधिकार भी कानूनन नहीं था। अपीलार्थीगण के वादग्रस्त भूमि में निहित हक एवं अधिकारों के अनुरूप ही वैधानिक तौर पर नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 3–9–1980 पारित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की उस समय वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 162, 112, 113, 114, 190, 206 एवं 210 के नये खसरा नम्बर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बना दिये गये थे एवं उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का बेचान भी कर दिया गया जिसके क्रेतागण को भी अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण आदेश 1 नियम 9 सीपीसी में वर्णित कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही अपील संधारण योग्य नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीकी अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 ने सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला के सरपंच से मिलीभगत कर रेकार्ड में फर्जी बंटवारा फैसला के द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा खातेदारी की आराजियात का अपने नाम नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 3–9–1980 दर्ज करवा लिया तथा खाता भी अलग करवा लि जबकि मौके पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा भूमि को बेचने पर आमादा है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण सभी अपने अपने 1/4–1/4 हिस्से का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग व उपभोग कर रहे है लेकिन राजस्व रेकार्ड में 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज नहीं है जिसके कारण उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जबकि मौके पर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सभी अपने–अपने हक व हिस्से पर काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता का जो आदेश बताया गया है वह फर्जी है उक्त आदेश के विरूद्ध पुलिस थाना पादूकंला में एफ.आई.आर संख्या 7/14 दर्ज हुई है। उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा दिनांक 17–6–1975 को जारी आदेश के बारे में जानकारी चाहने हेतु पत्र जारी किया तो उनके द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया गया कि उक्त फैसला उपखण्ड अधिकारी मेड़ता से जारी नहीं हुआ है जिससे यह भी स्पष्ट हैकि तथाकथित बंटवारा फैसला पटवारी हलका से मिलकर फर्जी तौर पर तैयार कराया गया है। उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा कभी भी बंटवारा फैसला नहीं हुआ यदि होता तो नामान्तरकरण भी तहसीलदार द्वारा ही स्वीकृत किया जाता जबकि वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 3–9–1980 को अवैध रूप से सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था। सचिव ग्राम पंचायत बिखरनियांकला के बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक 3–9–1980 को कोरम पूरा नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत की बैठक ही आयोजित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 3–9–1980 सन्देहास्पद होने से उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा निरस्त कर तहसीलदार डेगाना को समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के दावे एवं टीआई प्रार्थना पत्र पर भी अपने आदेश में कोई अंकन नहीं किया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध थाना पादूकंला में फौजदारी प्रकरण चलने एंव न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का कथन है तो उक्त प्रकरण राजस्व न्यायालय पर लागू नहीं होता है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम इटावडा भोजा तहसील डेगाना में स्थित वादग्रस्त आराजित खसरा नम्बर 162, 112, 113, 114, 190, 206 एवं 210 कुल रकबा 102 बीघा 16 बिस्वा में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 15 का 1/4–1/4 हिस्सा है जो दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध है। अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी मेडता के आदेश दिनांक 17–6–1975 के द्वारा कुल 102.16 बीघा भूमि में से खसरा नम्बर 210 रकबा 14.02 बीघा में से 210/1 रकबा 06.16 बीघा व खसरा नम्बर 112 रकबा 47.07 बीघा में से 112/1 रकबा 38.13 बीघा इस प्रकार कुल 45.09 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 3–9–1980 अपने नाम करवा लिया जबकि सभी पक्षकारान मौके पर 1/4–1/4 हिस्से पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना की पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि न्ययालय उखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा दिनांक 17–6–1975 को बंटवारानामा का कोई आदेश ही पारित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा पटवारी हलका के समक्ष उपस्थित होकर जिस आदेश का हवाला देकर नामान्तरकरण भरवाया है वह फर्जी है जिसके विरूद्ध थाना पादूकंला में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 7/14 से दर्ज करवाई गई है । अपीलार्थीगण द्वारा बहस के

दौरान उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा जारी निर्णय दिनांक 17–6–1975 की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता का उक्त आदेश संलग्न है। साथ ही अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अन्य पक्षकारान के हक हिस्से से ज्यादा भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज कराना एवं फर्जी बंटवारे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया जबकि बंटवारा के आधार पर नामान्तरकरण तहसीलदार को भरने का अधिकार होता है सरपंच को नहीं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2013 से 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार छोगा, माना, शिवनाथ हरदीन, प्रभु पिसरान लादू खातेदार दर्ज है। इनमें से हरदीन के गोद चले जाने से शेष खातेदारान का 1/4–1/4 हिस्सा बनता है। अपीलर्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित आराजियात का रेकार्डेड खातेदार होने से बंटवारा करवाने का हक व अधिकार है। पटवारी हलका द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश दिनांक 17–6–1975 की पालना में बंटवारा हेतु दिनांक 25–7–1980 को नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियाकंला द्वारा दिनांक 3–9–1980 को नामान्तरकरण संख्या 80 स्वीकृत किया है। सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला के बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त दिनांक 3–9–1980 को कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक ही नहीं हुई थी तथा उक्त नामान्तरकरण का उल्लेख उक्त रजिस्टर में कहीं पर किया हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियांकला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 3–9–1980 बाबत समस्त प्रकिया सन्देहास्पद प्रतीत होती है। लिहाजा उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–7–2015 द्वारा तहसीलदार, डेगाना को विवादित आराजियात के मूल खातेदारों के विधिक वारिसानों की जांच कर पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है जो न्यायोचित होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–07–2015 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 03/2014 बउनवानी परमाराम बनाम उरजाराम उर्फ अरजा व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर